धारा 4 : राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के अधिकारियों का कतिपय परिस्थितियों में समुचित अधिकारी के रूप में प्राधिकार

इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम अथवा संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी, ऐसे अपवादों और शर्तों के अध्यधीन, जो सरकार, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समुचित अधिकारी होने के लिए प्राधिकृत हैं।